

उतारा
नुलभ
श्रधाएं

सवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीआरएम अखिलेश मिश्र ने धनबाद स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने 'रेल जन संवाद' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने स्टेशन परिसर में स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं का जायजा लिया तथा धनबाद से खुलने वाली एलेप्पी एक्सप्रेस के यात्रियों से सीधे संवाद कर उनके सुझाव एवं अनुभव प्राप्त किए। डीआरएम ने स्वच्छता एवं यात्री



धनबाद स्टेशन में गुरुवार को यात्रियों से संवाद करते डीआरएम अखिलेश मिश्र।

सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने 13351 धनबाद-एलेप्पी एक्सप्रेस की पैट्री कार का निरीक्षण कर खानपान की सेवाओं एवं संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी

ली। एलेप्पी एक्सप्रेस के यात्रियों से बातचीत कर उनकी यात्रा संबंधी समस्याओं, अनुभवों एवं सुझावों को जाना। डीआरएम के साथ सीनियर डीसीएम मनीष सौरभ व अन्य

डाउ
कर्म
करने
बना
सुनि
भार्ग
डीअ
यात्रि
करा
जन
अग्र

भारतीय स्टेट बैंक

चल संपत्तियों की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

क्र.सं.	शाला (कोड)	कर्जदार का नाम	रजिस्ट्रेशन सं.	मॉडल	निर्माण वर्ष	रजिस्ट्रेशन सं.	आरक्षित मूल्य (रु.)
1	ISM धनबाद (1641)	अजय पासी	21-09-2025	Ertiga	2025	JH100D 9980	रु. 8,10,000/-
2	धनबाद (00066)	राम ज्ञानम नौनिया	12-05-2025	Swift	2025	JH100C 9498	रु. 4,81,000/-
3	हीरापुर (1670)	एजाज आलम	26-08-2025	Baleno	2024	JH100B 9348	रु. 5,42,345/-
4	ISM धनबाद (1641)	चंचवर भुइया	05-09-2023	Baleno	2023	JH10CS 6168	रु. 5,40,000/-
5	धनबाद (00066)	चंद्रबिंदु झा	30-08-2019	Maruti Suzuki Dzire Vxi	2019	JH10BT 7784	रु. 3,10,000/-

उपर्युक्त वाहन की ऑनलाइन नीलामी www.baanknet.com प्लेटफॉर्म में 03/11/2026 को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे निम्नलिखित नियमों और शर्तों के आधार पर आयोजित की जायेगी।

- नीलामी "जैसा है, जहाँ है, के आधार पर" होगी।
- ईएमडी के रूप आरक्षित मूल्य का 10% होगी एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि आरक्षित मूल्य का 1% होगी।
- आवेदन दिनांक 03/11/2026 के अपराह्न 03:00 बजे के पूर्व या तक स्वीकार की जायेगी, अन्यथा क्रेता/बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- आरक्षित मूल्य से काम पर वाहनों की नीलामी नहीं की जायेगी। खरीददार को बिक्री मूल्य का 25%, बयाना जमा-राशि को समायोजित करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी के बोली मूल्य को स्वीकार करने के तुरंत बाद देना होगा एवं शेष 75% राशि बिक्री की तिथि के 15 दिनों के अंदर या विस्तारित अवधि (प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर निर्भर) के अनुसार जमा करना होगा।
- असफल बोली कर्ताओं के बयाना राशि नीलामी जगह पर वापस किया जायेगा।
- बोली लगाने वाले को लागू स्टाम्प शुल्क/ अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/अंतरण शुल्क, फीस आदि और संबंधित/गैर- संबंधित बकाया राशि, टैक्सों, दरों, मूल्यांकन प्रभार, शुल्क आदि, अगर बकाया हो तो वह भी वहां करने होंगे।
- सबसे ऊँची बोली लगाने वाले सहित किसी भी आवेदन को या पूरी नीलामी प्रक्रिया को निरस्त या अस्वीकृत करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा, किसी खास वाहन के लिए एकल बिड होने की स्थिति में नीलामी नहीं की जायेगी।
- संभावित बोलीदाता मोबाइल संख्या 9631800668 एवं 9771454840 से संपर्क कर सकते हैं।
- इच्छुक पार्टियाँ वाहन से सम्बंधित किसी भी बकाया की जानकारी नीलामी में भाग लेने से पहले सम्बंधित DTO से प्राप्त कर सकते हैं।
- स्वामित्व का हस्तांतरण बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा।

नोट: किसी भी स्थिति में, सफल बोली के मामले में ईएमडी (अग्रधन राशि जमा) वापस नहीं की जाएगी। उधारकर्ता/जमानतकर्ता को पह सूचित किया जाता है कि सम्पूर्ण बकाया ब्याज सहित तथा अन्य सर्व सार्वजनिक नीलामी पहल जमा करने होंगे अन्य की नीलामी/विक्री कर दी जाएगी एवं शेष बकाया ब्याज एवं अन्य खर्चों के साथ उनसे वसूली जाएगा। बैंक आवेदन स्वीकार करने का समय तथा तारीख बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दिनांक : 22.10.2026 | स्थान : धनबाद

प्रकाशन में किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा।

ह०/- (प्राधिकृत अधिकारी)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, धनबाद



समाहरणालय, गिरिडीह समाहर्ता या समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा गिरिडीह जिला अंतर्गत बि केशवारी घाट (दलांगी) पर पुल निर्माण परियोजना हेतु ग्राम-सरिया खुर्द, थाना-सरिया, थाना सं०-32, अंचल-सरिया, रि एकड़ यानि 0.0890 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपयुक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप २ 0.0890 हेक्टेयर है और जो ग्राम-सरिया खुर्द, थाना-सरिया, थाना सं०-32, अंचल-सरिया, जिला-गिरिडीह में है, जिसका विवरण

त
उ
ध
उ
म
ड
त
उ
उ
दे
बं
ड
उ
ड
ब
ग
म
उ
र
र
ब
व
र
म
पं
गु

According to the complaint lodged by the minor, she was first allegedly abducted by a group of young men, who took her to a deserted area near the Delhi-Mumbai Expressway and gang-raped her.

PTI

empowerment, food and civil supplies, power and rural development departments, with a focus on improving public service delivery.

The chief minister issued directions to accelerate indus-

Agriculture Production Javed Dar, Minister for Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Satish Sharma, advisor to chief minister Nasir Aslam Wani, MLAs of Anantnag district and senior officers attended the meeting. PTI



State Bank of India

SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE PROPERTY

Sl. No.	Branch (Code)	Name of Borrower	Date of Registration	Model	mfg year	Registration No.	Reserve Price (Rs.)
1	ISM Dhanbad (1641)	Ajay Pasi	21-09-2025	Ertiga	2025	JH10DD 9980	Rs. 8,10,000/-
2	Dhanbad (00066)	Ram Janam Nonia	12-05-2025	Swift	2025	JH10DC 9498	Rs. 4,81,000/-
3	Hirapur (1670)	Ejaj Alam	26-08-2025	Baleno	2024	JH10DB 9348	Rs. 5,42,345/-
4	ISM Dhanbad (1641)	Chanchhwar Bhuiya	05-09-2023	Baleno	2023	JH10CS 6168	Rs. 5,40,000/-
5	Dhanbad (00066)	Chandrabindu Jha	30-08-2019	Maruti Suzuki Dzire Vxi	2019	JH10BT 7784	Rs. 3,10,000/-

Online Auction of the above vehicle will be held on Platform www.baanknet.com on 03/11/2026 at 11:00 AM to 4:00 PM on the basis of the following terms and conditions.

1. The Auction will be held on the basis of "AS IS WHERE IS AND WHAT IS THERE IS BASIS"

2. EMD shall be 10% of the Reserve Price and Bid Increment shall be 1% of the Reserve Price.

3. Application will be accepted on or before 03:00 PM 03/11/2026, Otherwise Purchaser/ Bidder will not be allowed to participate in the auction.

4. The vehicles will not be sold below the reserve price. The Purchaser should deposit 25% of the sale price, adjusting the EMD already paid, immediately after the acceptance of the bid price by authorized officer and balance 75% of the sale price on or before 15 days of sale otherwise the bid stands cancelled.

5. Earnest money of successful bidders will not be refunded and earnest Money of disqualified bidders will be refunded.

6. The Purchaser shall bear the applicable stamp duties/ additional stamp duty/ transfer charge, fee etc. And also the statutory/ non statutory dues, taxes, rates, assessment charges, fees etc Owing to anybody.

7. The Bank is not bound to accept the highest bid and reserves the right to accept or reject any bid without assigning reason thereof.

8. The Prospective bidder may Contact 9631800668 & 9771454840.

9. Interested parties are requested to obtain information about any dues from the respective DTO office well before taking part in the Auction.

10. The transfer of ownership is to be done by the bidder or purchaser himself/herself.

NOTE : The Borrower/ Guarantor are hereby notified to pay the entire dues with interest along with up to date interest and ancillary expenses before the date of public auction , failing which the property will be auctioned /Sold and balance dues, if any will be recovered with interest and cost from them. Bank will not be responsible for any mistake in publication.

Please Note that the secured creditor, the bank has already issued the sale notice to all the borrowers/guarantors by speed post/registered post 7 days prior. In case the same is not received by any of the parties then this publication of sale notices may be treated a substitute mode of services. The bank reserves the right to change time and date of acceptance of applications.

Date : 22.10.2026 | Place : Dhanbad

Sd/- (Authorised Officer)
State Bank Of India, Dhanbad

ADVERTISEMENT FOR THE POSTS OF CHAIRPERSON AND MEMBER OF THE UTTARAKHAND LOKAYUKTA ESTABLISHMENT

It is proposed to make appointments to the vacant posts of Chairperson and Members of the Uttarakhand Lokayukta Establishment, for which applications are invited from eligible persons as per the advertisement issued on the website and the prescribed format for the posts of Chairperson and Members of the Uttarakhand Lokayukta Establishment under section 3 of the Uttarakhand Lokayukta Act, 2014.